(125)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2016 विविध 19022-I-16

रामदीन (अब मृतक) पुत्र बिन्द्रावन ब्राह्मण

वारिस

पुनीतराम पुत्र स्व. रामदीन ब्राह्मण,
निवासी ग्राम हड़वासी, तहसील जौरां,
जिला मुरैना (म.प्र.)

-- आवेदक

दिनांक 17-2-16 को श्री एम० पी० भटनागर अभि० द्वारा प्रस्तुत/
17-2-16

विरूद्ध

1. सियाराम (अब मृतक) पुत्र सामलिया

वारिस

1. श्रीमती रामकली पत्नि स्व.सियाराम
2. कमला पत्नि बनवारी पुत्री स्व.सियाराम
3. विमला पत्नि जगदीश पुत्री स्व.सियाराम
4. कल्लो उर्फ कलिया पत्नि फैजराम पुत्री सियाराम, निवासी ग्राम गजरामपुर, तहसील व जिला मुरैना म0प्र0
5. अशोक पुत्र स्व. सियाराम
6. जगदीश पुत्र स्व. सियाराम
7. सत्य प्रकाश पुत्र स्व. सियाराम
निवासी क्र. 1,5,6,7 ग्राम- हड़वासी तहसील- जौरा जिला- मुरैना

-- अनावेदकगण

filed by M.P. Bhatnagar Adv 17/2/16

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 एवं धारा 32 म० प्र० भू० राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 8/10/15 प्र० क्र० 30/IV/2001 के दुरुस्ती हेतु

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.10.2015 में कम्प्यूटर टंकण में भूलवश भूमि विक्रेता को केता एवं केता को विक्रेता अंकित कर दिया है, जिससे निगरानी आदेश में अर्थमेटीकल हानि होने से संभावना होने के कारण यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध –एक/16 9022/ जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
19.02.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर द्वारा धारा 152 सी0पी0सी0 का एवं धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि प्रकरण कमांक निग0 30–चार/01 में पारित आदेश दिनांक 8.10.15 में भूलवश भूमि विकेता को केता एवं केता को विकेता अंकित कर दिया है। 2–यह कि पैरा 2 में रामदीन (अब मृतक) अंकित है जबकि सियाराम (अब मृतक)अंकित होना है। 3– यह कि पैरा 4 में आवेदक रामदीन (अब मृतक) अंकित है के स्थान पर सियाराम (अब मृतक) होना है। अ– यह कि पेरा 4 में जिस पर सियाराम (अब मृतक) ने आपत्ति की थी के स्थान पर रामदीन (अब मृतक)अंकित होना है। ब– यह कि पैरा 4 में पेज नम्बर 4 पर पांचवी लाईन में विकेता सियाराम अंकित है, के स्थान पर विकेता रामदीन अंकित होना है। स– यह कि पेज न.4 पर भू–राजस्व संहिता की परिभाषा के बाद दूसरी लाईन पर विकेता सियाराम ने केता रामदीन अंकित हो गया है के स्थान पर विकेता रामदीन ने केता सियाराम अंकित होना है, जो सुधार करने का अनुरोध किया गया है।	

आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा पैरा 2 में रामदीन की जगह सियाराम पढ़ा जावे। इसी प्रकार पैरा-4 में आवेदक रामदीन (अब मृतक) के स्थान पर सियाराम पढ़ा जावे। इसी प्रकार पैरा 4 में सियाराम ने आपत्ति की थी के स्थान पर रामदीन पढ़ा जावे। इसी प्रकार पैज न.4 पर भू-राजस्व संहिता की परिभाषा के दूसरी लाईन पर विक्रेता रामदीन की जगह क्रेता सियाराम पढ़ा जावे ।

सदस्य